न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 179/2018

1. दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर पी. एम. रोड फार्ट, मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय –302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एमआई रोड जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव

प्रार्थी

बनाम

1. शोभित चतुर्वेदी निवासी मकान वाटर वर्क्स कॉलोनी के पास बांदीकुई, दौसा(राजस्थान) 303313 एवं पताः– पोस्ट ऑफिस (स्मॉल सेविंग इनवेस्टमेन्ट्स) बांदीकुई, दौसा (राजस्थान)
2. श्रीमती लीना चतुर्वेदी निवासी मकान वाटर वर्क्स कॉलोनी के पास बांदीकुई, दौसा(राजस्थान) 303313 एवं पताः– पोस्ट ऑफिस (स्मॉल सेविंग इनवेस्टमेन्ट्स) बांदीकुई, दौसा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी।

आदेश

दिनांकः 26.8.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री शोभित चतुर्वेदी निवासी मकान वाटर वर्क्स कॉलोनी के पास बांदीकुई, दौसा(राजस्थान) 303313 एवं पताः– पोस्ट ऑफिस (स्मॉल सेविंग इनवेस्टमेन्ट्स) बांदीकुई, दौसा (राजस्थान)व अन्य को 3,75,000/(रूपये तीन लाख पिचेत्तर हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय मकान वाटर वर्क्स कॉलोनी के पास बांदीकुई जिला दौसा राज0 जिसका कुल क्षेत्रफल 215 वर्गगज है तथा जिसकी सीमायें पूर्व में 10 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में छाजूराम पटवारी का मकान, उत्तर में रामकिशोर सैन का मकान व दक्षिण में स्वयं का खाली प्लाट है जो श्री शोभित चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व हकत्याग पत्र के अनुसार है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 26 अगस्त 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official